



मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली -2

संख्या: ए-40/12/1/PFRDA/2020-लेखा-4

दिनांक- 17.08.2021

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
2. बीमा आयुक्त, प्रशिक्षण अकादमी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. सभी निदेशक(प्रभारी)/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
4. निदेशक(चिकित्सा)अधीक्षक।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
6. सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक(वित्त), कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
7. अपर आयुक्त, स्थापना-5, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय/वित्त एवं लेखा शाखा-3, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय।

विषय: Detail of NPS Corpus in r/o Death Cases.

महोदय,


उपरोक्त विषय के संदर्भ में, आप सभी को सूचित किया जाता है कि NPS के अंतर्गत Death Case मामले में NPS Corpus भुगतान CCS(Implementation of National Pension System) Rules, 2021 के अनुसार किया जाना है। देखा गया है की यूनित्स द्वारा NPS Corpus के भुगतान हेतु ESIC अंशदान और Subscriber अंशदान की राशि को आकलन अलग अलग करने में समस्या हो रही है।

उपरोक्तानुसार, सभी को सूचित किया जाता है ESIC अंशदान और Subscriber अंशदान तथा उन पर प्रतिफल के विवरण हेतु CRA-NSDL से (**Sunny Gonsalves से Sunnyg@nsdl.co.in पर**) संपर्क करे। इसके उपरान्त ESIC अंशदान और प्रतिफल ESIC खाता-1 में चालान द्वारा जमा कर लेखा शाखा-2, मुख्यालय को सूचित करे तथा Subscriber का अंशदान और प्रतिफल Nominee व Legal Heir के खाते में जमा करे।

इसके अलावा निम्नलिखित विवरण लेखा शाखा-4, मुख्यालय को भेजे।

1. Name of the RO/SRO/Hospital_____
2. Name of the deceased employee_____
3. Name of the Nominee/Family Pensioner and relationship with deceased employee_____
4. Total Accumulated wealth of NPS received from NSDL_____
5. Employee's Share and appreciation thereon_____
6. ESIC's Share and appreciation thereon_____
7. Date of transfer of ESIC's share and appreciation thereon to ESIC A/Cs-1_____

भवदीय,


(अलोक कुमार सिन्हा)
उप निदेशक(वित्त)

प्रतिलिपि:- वेबसाईट सामग्री प्रबंधक को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।